UPSM010027802019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम, शामली।
पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र कुमार राय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO CODE-UP 1761

SPECIAL TRIAL/183/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ---------अभियोजन

बनाम

1. संदीप पुत्र ब्रहमसिंह उर्फ धर्मसिंह निवासी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी, जनपद शामली।
-----------अभियुक्त।

मु.अ.सं.–132/2019
अंतर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं.
एवं धारा–3(1)द, 3(1)ध S.C./S.T. Act
थाना–बाबरी, जिला शामली।

1.विद्वान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष–श्रीमती कमलेश वर्मा
2.विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष– श्री अंकित शर्मा

निर्णय

1. प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण मु०अ०सं०–132/2019 में थाना बाबरी, जनपद शामली की पुलिस द्वारा बाद विवेचना अभियुक्त संदीप के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(1)द, 3(1)ध S.C./S.T. Act के तहत विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसे विशेष सत्र परीक्षण सं०–183/2019 सरकार बनाम संदीप के रूप में पंजीकृत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति हरिजन निवासी ग्राम हिरनवाड़ा थाना बाबरी, जनपद शामली ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी जिला शामली का रहने वाला है तथा **जाति से हरिजन** है प्रार्थी के गाँव के ही **संदीप पुत्र धर्मसिंह जो जाति से राजपूत** है, ने प्रार्थी को बताया था कि उत्तर रेलवे में बम्पर वैकेन्सी निकली हुई है केन्द्र सरकार रिक्त वैकेन्सियों को भरकर सरोजगार बना रही है तथा संदीप ने कहा कि उसका एक मन्त्री जानने वाला है जिसके माध्यम से वह प्रार्थी की नौकरी रेलवे में लगवा देगा। **संदीप ने नौकरी लगवाने के लिए प्रार्थी से 2,25,000/– रूपये भिन्न–भिन्न तिथियों में गाँव के ही सोनू पुत्र राजकुमार व प्रार्थी के पिता जी रामनिवास व राजेन्द्र पुत्र लिल्लू के सामने लिये थे। अन्तिम किश्त 15.02.2016 को संदीप ने प्रार्थी से प्राप्त की थी।** संदीप ने **दो अज्ञात व्यक्तियों** का परिचय रेलवे अधिकारियों के रूप में प्रार्थी से करवाया था तथा प्रार्थी के कागजात उपरोक्त व्यक्तियों को दिये थे, **जिन्होने प्रार्थी का मेडिकल दिल्ली में कराया** तथा उसके कुछ समय बाद **नियुक्ति पत्र प्रार्थी के घर के पते पर भिजवाने का आश्वासन दिया** तथा उपरोक्त तीनो व्यक्ति प्रार्थी से और पैसो की मांग करने लगे, इसके बाद **अभियुक्तगण ने एक नियुक्ति पत्र**

भी प्रार्थी को दिया, जो प्रार्थी को सन्दिग्ध लगा, जिसे लेकर प्रार्थी दिल्ली रेलवे विभाग में गया तो वहाँ उपस्थित रेलवे कर्मचारियों ने उपरोक्त कागज को फर्जी बताया। प्रार्थी के साथ संदीप ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी के रूपये हड़पने की नियत से फर्जी व गलत कागजात तैयार करके धोखाधड़ी की है, जिस पर **प्रार्थी ने दिल्ली से आकर संदीप से अपने पैसे मांगे तो पहले तो वह पैसे देने के लिए समय लेता रहा,** फिर प्रार्थी को **पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। दिनांक 04.07.2018 को समय शाम के 8:00 बजे संदीप ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी तथा गाली गलौच पर उतर आया। प्रार्थी के पिता एवं गाँव के राजेन्द्र पुत्र लिल्लू ने प्रार्थी को संदीप से बामुश्किल बचाया।** उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने थाना बाबरी पर प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई प्रार्थी ने डी०आई०जी० सहारनपुर को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग नई दिल्ली में भी प्रार्थना पत्र दिया जिन्होंने उक्त प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया, किन्तु प्रार्थी की कोई रिपोर्ट किसी प्रकार की दर्ज नही की गयी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.02.2019 को भी पुलिस अधीक्षक शामली को पंजीकृत डाक से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। अतः न्यायहित में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2019 के अनुक्रम में थाना बाबरी, जिला शामली पर अभियुक्त संदीप के विरूद्ध मु.अ.सं.–132/2019, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(1)(X) S.C./S.T. Act में पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा सामान्य दैनिकी में किया गया।

4. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। विवेचना में मौके का नक्शा नजरी तैयारी किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त संदीप के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(1)द, 3(1)ध S.C./S.T. Act के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा दिनांक 27.09.2019 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया गया, जिसे सत्र वाद सं०–183/2019 सरकार बनाम संदीप के रूप में पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 12.02.2021 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो),शामली द्वारा आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **संदीप** के विरूद्ध **धारा** 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(1)द, 3(1)ध S.C./S.T. Act के अधीन आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपो से इंकार करते हुये विचारण की माँग की गयी तथा उक्त पत्रावली इस न्यायालय में अंतरण द्वारा प्राप्त हुई है।

6. अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्षी परीक्षित कराये गये है:–

1	**पी०डब्लू०–1**	**संजय कुमार (वादी मुकदमा/चक्षुदर्शी साक्षी)**
2	**पी०डब्लू०–2**	**रामनिवास (वादी का पिता)**
3	**पी०डब्लू०–3**	**राजेन्द्र (स्वतंत्र साक्षी)**
4	**पी०डब्लू०–4**	**सोनू (स्वतंत्र साक्षी)**

5	पी०डब्लू०–5	हे० कां० अमित कुमार (पुलिस साक्षी)
6	पी०डब्लू०–6	क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह (मुकदमा विवेचक)
7	पी०डब्लू०–7	निरीक्षक रविन्द्र कुमार (गवाह फर्द बरामदगी)
8.	पी०डब्लू०–8	दीपचन्द (स्वतंत्र साक्षी)
9.	पी०डब्लू०–9	दिनेश सैनी (जूनियर क्लर्क रेलवे विभाग)

7. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित कराया गया हैः–

1	प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०	प्रदर्श क–1
2.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–2
3.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5
6	छायाप्रति पत्र मुकेश शर्मा (महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली)	प्रदर्श क–6
7	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–7
8	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–8

8. प्रश्नगत प्रकरण में जिन प्रपत्रों/प्रदर्शों पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, उन सभी प्रदर्शों पर आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में कुल 9 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। साक्षी **पी० डब्लू०–1 वादी मुकदमा संजय कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, मैं मुल्जिम संदीप को जानता हूँ। संदीप ने कहा कि उत्तर रेलवे में बंपर वैकेंसी निकली हुई है। संदीप ने कहा कि मंत्री जानने वाला है। मंत्री के माध्यम से तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा। उन्होंने मेरे से दो लाख पच्चीस हजार रूपये की मांग की थी। **पैसे मैंने भिन्न भिन्न किस्तों में दिए पहली किस्त मैंने दिनांक 02.12.2015 को अभियुक्त को पचास हजार रूपये की दी ,दूसरी किस्त मैंने पचहत्तर हजार रूपये दिनांक 15.12.2015 को दी अंतिम किस्त एक लाख रूपये दिनांक 15.02.2016 को दी।** उन्होने **मेरा मेडिकल कराया** फिर **कुछ समय बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त कराया**। उसके बाद **हम नियुक्ति पत्र को रेलवे विभाग में लेकर गए, जहॉ पर उसे डूप्लीकेट बताया**। फिर हमने संदीप से अपने पैसे मांगे, तो संदीप पहले इंकार करता रहा उसके बाद वह फिर पैसे देने की बात करता रहा। **दिनांक 04.07.2018 को मैं अपने घर के सामने खडा** था समय **करीब रात के आठ बजे आकर मेरे घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगा** बडी मुश्किल से **राजेन्द्र पुत्र लीलू मेरे घर के बाहर से जा रहा था तो मेरे पिताजी ने बडी मुश्किल से अभियुक्त संदीप के हाथ से छुडाया**। उसके बाद हमने थाना बाबरी में मानहानी का डर होते हुए शिकायत की थी। वहॉ पर कुछ कारवाई नहीं हुई थी। डी.आई.जी. पोर्टल सहारनपुर में शिकायत किया वहॉ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में आए। हमने 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। गवाह को 156(3) का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो कंप्यूटर द्वारा लिखवाया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर है मैं अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया।

10. साक्षी **पी० डब्लू०–2 रामनिवास** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि **मेरे लडके संजय ने बताया कि संदीप रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए बोल रहा** है। रेलवे में मंत्री के द्वारा भर्ती निकली हुई है। मेरे बेटे संजय की जानकारी मंत्री से नहीं थी संदीप की जानकारी मंत्री से

थी। मेरे लडके संजय ने कहा कि नौकरी लगवाने में कुछ पैसों की जरूरत पडेगी। मेरे बेटे संजय ने बताया कि नौकरी के लिए सवा दो लाख रूपये की जरूरत पडेगी। मैंने कहा कि ठीक है बेटे हम इंतजाम कर देंगे। **पहले दिनांक 02.12.2015 को पचास हजार रूपये संदीप को दिये उसके बाद दूसरी किस्त 15.12.2015 पचहत्तर हजार रूपये की दी थी और तीसरी और अंतिम किस्त दिनांक 15.02.2016 को एक लाख रूपये दिये थे।** मैंने अपने बेटे संजय से पूछा की नौकरी का क्या रहा तुम्हारा, तो उसने बताया कि मुझे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है **फिर बाद में बताया कि नियुक्ति पत्र मिल** गया। मेरा लडका उस **नियुक्ति पत्र को लेकर रेलवे विभाग में गया तो वहॉ से पता चला कि यह नियुक्ति पत्र फर्जी** है। उसके बाद मेरे लडके संजय ने संदीप से पैसे की मांग की पहले तो कहता रहा कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूॅगा। **संदीप ने दिनांक 04.07.2018 को हमारे घर पर आकर कहा कि केस वापस ले लो नहीं तो जान से मार दूॅगा।** पहले हमने थाने में केस किया वहॉ पर कोई सुनवाई नहीं हुई फिर हम न्यायालय की शरण में आ गये।

11. साक्षी **पी० डब्लू०–3 राजेन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि मैं संजय पुत्र रामनिवास को अच्छे से जानता हूॅ। मेरा उनके घर में आना जाना है। वह जाति से हरिजन है। संजय भी मेरे गांव का रहने वाला है और संदीप राजपूत को भी मैं अच्छे से जानता हूॅ। संदीप राजपूत का रामनिवास के घर आना जाना है। **एक दिन मैं रामनिवास के घर बैठा था मेरे सामने ही संदीप राजपूत उनके घर आया और उसने आकर बताया कि रेलवे विभाग में ग्रूप–डी की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। और मेरा एक मंत्री जानने वाला है।** अगर तूम इसमें नौकरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूॅगा। बस उसमें थोडे से पैसे लगेंगे। क्योंकि उसमें बाहर आना जाना पडेगा। उसमें पैसे लगेंगे तुम्हें व्यवस्था करनी पडेगी। तो रामनिवास ने संदीप से कहा कि बताओ कितने पैसे लगेंगे। **मेरे सामने ही सवा दो लाख की बात हुई।** मेरे सामने ही **रामनिवास ने संदीप को पचास हजार एक बार और पचहत्तर हजार एक बार और एक लाख एक बार तीन बार में पैसे गये।** उसके बाद **संजय ने बताया कि एक नियुक्ति पत्र संदीप ने मुझे लाकर दिया है मैं इसे लेकर दिल्ली रेलवे विभाग में जाऊंगा।** उसके चार पांच दिन बाद संजय ने आकर बताया कि मैं रेलवे विभाग में गया था **मैंने वह नियुक्ति पत्र दिखाया तो विभाग वालों ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र फर्जी है इसे फाड दो नहीं तो तूम जेल जाओगे। संजय, मैं और रामनिवास संदीप राजपूत के घर गये उसे सारी बात बतायी और पैंसे की मांग की। पैसे मांगते ही संदीप राजपूत गाली गलौच कर जाति सूचक शब्द कहने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा।** उसके बाद हमनें कहा कि पैसें तो देने ही पडेंगे। पैसों को लेकर आज कल पर टालने लगा और आजतक पैसे नहीं दिये।

12. साक्षी **पी० डब्लू०–4 सोनू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि मैं संजय को जानता हूॅ। मैं संदीप राजपूत को भी जानता हूॅ। यह मेरे गांव के रहने वाले हैं। अभि0 संदीप पुत्र धर्म सिंह संजय पुत्र रामनिवास के घर गया था। तो वहॉ पर संदीप ने रेलवे भर्ती की बात की थी। संदीप ने कहा कि मंत्री मेरा आदमी है ग्रुप डी की भर्ती आयी है। मैं ग्रुप डी में भर्ती करा दूॅगा लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। रामनिवास ने संदीप से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे तो संदीप ने बताया कि 2,25,000/– रूपये लगेंगे। दिनांक 02.12.2015 में 50,000/– रूपये संजय ने संदीप को पहली किस्त दी जो कि मेरे सामने दी थी। दस बारह दिन के बाद दूसरी किस्त 75,000/– रूपये की दी। तीसरी किस्त दो महीने के आसपास 1,00,000/– रूपये की संदीप राजपूत को घर में दिये थे। **संदीप राजपूत ने रेलवे का नियुक्ति पत्र संजय पुत्र रामनिवास को दिया और कहा कि तुम भर्ती हो चुके हो दिल्ली जाकर जहॉ पर रेलवे बोर्ड है वहॉ पर चेक करा लो। वहॉ जाकर पता चला कि फर्जी नियुक्ति पत्र है।** फर्जी **नियुक्ति पत्र को लेकर संजय संदीप राजपूत के घर गये। संजय ने अपने पैसे संदीप राजपूत से मांगे। पैसे मांगने पर संदीप व संजय के बीच गाली गलौच व मारपीट हुई तथा जान से मारने की धमकी दी।** उसके बाद हम घर पर आ गये। उसके बाद कोई पैसे वापिस नहीं किये।

13. साक्षी **पी० डब्लू०–5 हे० कां० अमित कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 17.06.2019 को मैं थाना बाबरी पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। थानाध्यक्ष महोदय की डाकपैड से माननीय न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का आदेश अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी मय प्रार्थना पत्र वादी श्री संजय कुमार प्राप्त हुआ था और आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मेरे द्वारा मुकदमा अपराध सं0 132/ 2019 धारा 420, 467, 468, 472, 504, 506 भा.दं.स एवं 3(1)(x) एस सी /एस टी एक्ट रपट नम्बर

26 दिनांक 17.06.2019 में कायमी की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 6क/4 जीडी मेरे द्वारा तैयार की गयी, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया है। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 4क/1 एफआईआर, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया।

14. साक्षी **पी० डब्लू०-6 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह (मुकदमा विवेचक)**, ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 18.07.2019 को मैं क्षेत्राधिकारी थानाभवन पर तैनात था। उपरोक्त दिनांक को मुकदमा अपराध सं0 132/ 2019 की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी और मेरे द्वारा पर्चा नम्बर 4 किता किया गया। जिसमें पर्चा नम्बर 1,2 व 3 का अवलोकन किया गया। दिनांक 03.03.2019 को पर्चा नम्बर 5 किता किया गया, जिसमें थाना बाबरी पर आकर कार्यालय में का0 26 अमित कुमार के मजीद बयान लिया गया। इसके पश्चात थाना बाबरी से रवाना होकर ग्राम हिरणवाडा आकर वादी मुकदमा, एफ आई आर गवाहन **राजेन्द्र व सोनू की त**लाश की गयी वादी मुकदमा संजय कुमार पुत्र रामनिवास घर पर मौजूद मिला जिससे घटना के संबंध में पूछताछ कर मजीद बयान लिए गये एवं वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे पूर्व अधिकारी जो घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया था उसका अवलोकन किया वह नक्शा नजरी सही पाया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 8क नक्शा नजरी पूर्व अधिकारी के हस्तलेख में है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं जिनको कि मैंनें लिखते पढते देखा है मैं उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श-क 4 डाला गया है। एफ आई आर के गवाह **राजेन्द्र पुत्र लीलू** की गांव मे तलाश की गयी वो अपने घर पर मौजूद मिला जिसके उक्त घटना के संबंध में बयान अंकित किए गये। एफ आई आर के गवाह **समर पुत्र राजकुमार** की गांव में तलाश की गयी वो अपने घर पर मौजूद मिला जिससे मुकदमा उपरोक्त के संबंध में पूछताछ कर बयान अंकित किए गये। जिसमें घटना को तस्दीक किया, और घटना का समर्थन किया। दिनांक 05.08.2019 को पर्चा न0 6 किता किया गया **जिसमें रेलवे विभाग के नियुक्ति पत्र जो कि नामित अभियुक्त संदीप द्वारा मुकदमा वादी संजय कुमार पुत्र रामनिवास को दिया था। जिसको तस्दीक करवाने हेतु थाना थानाभवन के उप निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार को उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय भेजा गया। जिसके द्वारा उक्त कार्यालय में श्री मुकेश शर्मा महा प्रबन्धक के कार्यालय से कोई भी नियुक्ति पत्र संजय पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी जनपद शामली को जारी नही किया गया है।** दिनांक 26.08.2019 को पर्चा न0 7 किता किया जिसमें अभियुक्त संदीप पुत्र धर्म सिंह को थाना बाबरी पुलिस के द्वारा गिरफतार किया गया एवं थाना पुलिस के द्वारा फर्द तैयार की गयी एवं अभियुक्त संदीप के बयान अंकित किए गये जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म से इंकार करते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय में देना बताया। दिनांक 27.08.2019 को पर्चा न0 8 किता किया जिसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय में रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17.09.2019 को पर्चा न0 9 किता किया जिसमें बयान गवाह वादी के पिता रामनिवास पुत्र आशा राम अंकित किए गये। **बयान गवाह धर्मेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि**वासी ग्राम हिरणवाडा एवं **सुभाष पुत्र सूरजमल के बयान अंकित** किए गये जिसमें दोनों गवाहों ने वादी द्वारा अभियुक्त को रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम के पैसे दिए। गांव में घूम फिर कर घटना के संबंध में बारी बारी से पूछताछ की गयी बयान स्वतंत्र गवाह **जमनादास पुत्र आशाराम, पूरनमल पुत्र स्वर्गीय राईमा ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी, बयान स्वतंत्र गवाह श्री दीप चन्द्र पुत्र शीशराम बयान स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम केडी थाना बाबरी** के बयान अंकित किए गये। **उक्त घटना के संबंध में गवाह कुलदीप कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी ने अभियुक्त संदीप के द्वारा रेलवे विभाग के गुप डी में नौकरी लगवाने हेतु अभियुक्त संदीप के कहने पर उसके पंजाब नेशनल बैंक बाबरी के खाता सं0 2348000400091337 में दिनांक 01.02.2016 को अंकन पच्चीस हजार रूपये तथा 03.08.2016 को तीस हजार रूपये डलवाये गये**। उपरोक्त मुकदमें मे अभियुक्त संदीप के विरूद्ध तमामी विवेचना उपरान्त अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,504,506 आईपीसी एवं 3(1)(द),(ध) एस सी एस टी एक्ट बाखुबी साबित होता है व माननीय न्यायालय में आरोप पत्र सं0 185/ 2019 दिनांक 17.09.2019 को प्रेषित किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 5क/1 लगायत 5क/3 आरोप पत्र संलग्न है जिसको मेरे द्वारा शब्द बा शब्द बोल बोलकर टाइप करवाया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मै शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श क-05 डाला गया है।

15. साक्षी **पी० डब्लू०-7 रविन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन

किया है कि दिनांक 26.08.2019 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना बाबरी जनपद शामली में तैनात था दिनांक 26.08.2019 को रपट नम्बर 17 समय 10.01 मिनट पर थाना हाजा से कांस्टेबल 461 आलोक राणा, एच जी 2251 शिवराज शर्मा मय गाडी सरकारी मय चालक कपिल मलिक के थाना क्षेत्र में गश्त व शान्ति व्यवस्था चैकिंग बैंक डयूटी चैकिंग वाहन व संदिग्ध व्यक्ति तलाश वांछित अभियुक्तगण में मामूर थे जब हम पुलिस वाले ग्राम बाबरी बुटराडा भनदौडा हिरणवाडा कैडी से होते हुए बन्तीखेडा बस अडडे शामली मु0 नगर रोड पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने सूचना दी आपके थाने के मुकदमें से संबंधित अभियुक्त सन्दीप राजपूत पुत्र धर्मपाल उर्फ ब्रहमसिंह निवासी हिरणवाडा थाना बाबारी जनपद शामली बुटराडा बस अडडे पर नाई के खोखे के समाने कही जाने की फिराक में खडा है जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। **मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके आने जाने वाले व्यक्तियों से मकसद बताकर साथ चलकर गवाही देने के लिये कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ।** मजबूरी वश हम पुलिस वालों ने मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नहीं है मुखबिर को साथ लेकर शामली मु0 नगर रोड पर बुटराडा बस अडडे से थोडा पहले पहुंचे तो मुखबिर ने गाडी साइड में रूकवाकर नीचे उतरकर इशारा कर के बताया कि सामने बांयी साइड में नाई के खोखे के सामने जो व्यक्ति पैन्ट शर्ट पहने खडा है यही सन्दीप राजपूत है और हाथ में फाइल लिये है। मुखबिर चला गया हम पुलिस वालो ने एक बार की दाबिश देकर घेर घोटकर चौकी के सामने खडे व्यक्ति को समय करीब 16.50 बजे पकड लिया नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम सन्दीप कुमार पुत्र धर्म सिह उर्फ ब्रहमसिंह निवासी हिरणवाडा थाना बाबरी जनपद शामली बताया जामा तलाशी ली गयी तो हाथ में लिये फाइल को पुलिस कब्जे लेकर खोलकर देखा **तो फाइल में उसमें एक लैटर जिस पर अंग्रेजी में इंडियन रेलवे रिकरूटमेन्ट बोर्ड दिनांक 11.04.2016 लैटर ऑफ रेलवे सैलेक्शन नाम विपिन कुमार फादर नेम देवेन्द्र कुमार निवासी शामली जिला शामली डेट आफ ज्वाइनिंग दिनांक 11.05.2016–17.05.2016 आदि बाते लिखी है** दूसरा ज्वाइनिंग लैटर जिस पर अंग्रेजी में इंडियन रेलवे रिकरूटमेन्ट बोर्ड दिनांक 11.04.2016 लैटर ऑफ रेलवे सैलेक्शन नाम **कुलदीप कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी कैडी बाबरी जिला शामली जिस पर ज्वानिंग डेट 11.05.2016 से 17.05.2016 आदि बाते लिखी** है। तीन वर्क नियुक्ति पत्र उत्तर रेलवे वाराणसी पत्र सं0 पी/ईआर 50901/आर आर वी/ गोरखपुर गुप सी/ भर्ती / टीसी / 103 कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक वाराणसी दिनांक **27.07.2016 सुनील कुमार पुत्र मोहन लाल केयर आफ लेट भदौली पीएस भदौली तहसील नारायणगढ डिस्ट्रीक अम्बाला हरियाणा आदि लिखा है** कुल **चार वर्क व एक खाली फार्म नार्थन रेलवे गवर्मेन्ट आफ इन्डिया इण्डियन रेलवे सर्विस रेल भवन नई** दिल्ली **कुल दो वर्क शपथ पत्र छायाप्रति संजीव कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी माडलपुर थाना थानाभवन शामली शपथ पत्र छायाप्रति रोहित पुत्र संजीव कुमार निवासी उपरोक्त शपथ पत्र छायाप्रति कुलदीप पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम कैडी थाना बाबारी जिला शामली शपथपत्र छायाप्रति धर्म सिंह पुत्र बिनारसी निवासी हिरणवाडा थाना बाबरी जिला शामली छायाप्रति हाईस्कूल अंकतालिका वर्ष 2007 सन्दीप कुमार पुत्र ब्रहमसिंह निवासी ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी सामान्य निवास प्रमाण पत्र सन्दीप कुमार पुत्र ब्रहमसिंह निवासी हिरणवाडा बाबरी शामली तथा जामा तलाशी से पैन्ट की पिछली जेब से एक पर्स जिसमें आधार कार्ड सन्दीप पुत्र धर्म सिंह निवासी हिरणवाडा व एक ए टी एम, पी एन बी बैंक तथा चार सौ तीस रूपये बरामद हुये थे** तथा पहने शर्ट की छाती वाली जेब से एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी बरामद हुआ था। **बरामदा डाक्यूमेन्टस व ए टी एम, आधार कार्ड, रूपये व पर्स को एक सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा मोबाइल को चिट बन्दी किया गया था**। गिरफतारशुदा व्यक्ति थाना हाजा के मुकदमा अपराध सं0 132/2019 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आई पी सी व धारा 3(1)द, ध एस सी/ एसटी एक्ट में वांछित है उसे उसके जुर्म से अवगत कराया गया। गिरफतारी मेमो तैयार किया गया। दौरान ए गिरफतारी मानवधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा लिखकर तैयार की गयी थी। फर्द को हमराहियान को पढकर सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। दौरान ए बरामदगी गिरफतारी आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त संदीप को देकर हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मै शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। गिरफतारी प्रपत्र जिस पर कागज सं0 7 क पडा है जो मेरे द्वारा तैयार

किया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मै शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है। माननीय न्यायालय की अनुमति से एक सील बंद पुलिंदा खोला गया । जिसमें पुलिंदे पर एक पुलिस सील सर्वे मोहर महमूला जिसमें 03 नियुक्ति पत्र, 04 छाया प्रति शपथ पत्र, छाया प्रति हाई स्कूल अंक तालिका, एक फार्म खाली रेलवे, निवास प्रमाण पत्र, एक आधार पत्र, एक ए.टी.एम पी. व चार सौ तीस रुपये, एक पर्स पोकिट सम्बधित मु०अ०सं० 132/19 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(द),(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट., पुलिस थाना बाबरी जनपद शामली बनाम संदीप कुमार एस०डी० संदीप का० आलोक राणा, एच०जी० शिवराज शर्मा, आर. कुमार उ०नि० 26.08.2019 थाना बाबरी जनपद शामली, हस्ताक्षर अपठित जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली स्थित कैराना 27.08.2019। पुलिंदे के पिछली तरफ 132/19 लिखा है। इस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया । एक निवास प्रमाण पत्र संदीप कुमार पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम हिरनवाडा अंकित है । इस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया । एक छाया प्रति अंक तालिका 2007 संदीप कुमार पुत्र ब्रहम सिंह जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। चार शपथ पत्र की छाया प्रति जो धर्मसिंह पुत्र बिनारसी निवासी हिरनवाडा जिस पर वस्तु प्रदर्श –4 , कुलदीप पुत्र तेजपाल सिंह निवासी कैडी जिस पर वस्तु प्रदर्श –5, रोहिल पुत्र संजीव कुमार निवासी मादलपुर जिस पर वस्तु प्रदर्श –6, संजीव पुत्र श्याम सिंह निवासी मादलपुर जिस पर वस्तु प्रदर्श –7, डाला गया। एक खाली रेलवे फोर्म जिस पर नोर्दन रेलवे इन्डियन रेलवे सर्विस आदि अंग्रेजी में लिखा है जिस पर वस्तु प्रदर्श 8, डाला गया। एक नियुक्ति पत्र विपिन कुमार इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिनांक 11.04.2016 इस पर वस्तु प्रदर्श–9, डाला गया । नियुक्ति पत्र कुलदीप कुमार जिस पर इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिनांक 11.04.2016 इस पर वस्तु प्रदर्श –10 डाला गया। नियुक्ति पत्र सुनील कुमार पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक (का.) वाराणसी इस पर वस्तु प्रदर्श –11 डाला गया। एक मुल्जिम संदीप का आधार कार्ड इस पर वस्तु प्रदर्श –12 डाला गया । एक ATM PNB जिस पर वस्तु प्रदर्श–13 डाला गया व चार सौ तीस रुपये जिनमें एक दो सौ रुपये का नोट, एक सौ रुपये का नोट, एक पचास रुपये का नोट, एक बीस रुपये का नोट तथा छः दस.दस रुपये के नोट तथा एक पोकेट पर्स खाली इस पर्स पर वस्तु प्रदर्श –14 डाला गया।

16. साक्षी **पी० डब्लू०–8 दीपचन्द ,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि मैं अपने गांव के ज्यादातर व्यक्तियों को जानता हूं, मै अपने गांव के संदीप राजपूत को जानता हूं, संजय पुत्र रामनिवास को जानता हूं। संदीप गांव में खेती बाडी का काम करता है अपने पापा के साथ में। **मैंने ये सुना कि चार पांच साल पहले गांव में इस बात का शोर था पढे लिखे बच्चों से पैसे एठता था रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर। नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे एठता था** इस बात की पूरे गांव में चर्चा थी। इस पर कोई और साधन नहीं था केवल कागज–वागज दिखाता होगा। मैंने इसके पास ऐसा कोई कागज नहीं देखा। संजय पुत्र रामनिवास ने मुझे गांव में बताया था कि मेरे से भी पैसे ले रखे है नौकरी लगवाने के लिए।और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नही है।

17. साक्षी **पी० डब्लू०–9 दिनेश सैनी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि मैं जूनियर कलर्क Recruitment section पद पर उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय बडौदा हाऊस–नई दिल्ली में तैनात हूँ। दिनांक 05/01/2026 को APO/R, DY.CPO/R के द्वारा मुझे रिकोर्ड कीपर के बदले माननीय न्यायालय में कार्यालय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया था जिसके आधार पर मैं विभाग से संबंधित अभिलेख लेकर आया हूँ। जिसमें 01/08/2019 के पत्र जो प्रदीप सिंह क्षेत्राधिकारी थानाभवन जनपद शामली ने वादी श्री संजय कुमार पुत्र रामनिवास ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी ने संदीप पुत्र धर्मसिह ग्राम हीरनवाडा थाना बाबरी जनपद शामली ने रेलवे विभाग मे नौकरी लगवाने हेतु रुपये प्राप्त कर नियुक्ति पत्र वादी मुकदमा संजय को दिया गया है। जिसके संबंध में थाना बाबरी में मुकदमा अपराध संख्या 132/19 पंजीकृत होकर विवेचना उनके द्वारा की जा रही है। नियुक्ति पत्र की छाया प्रति सत्यापन हेतु भेजी गई थी जो मूल रुप से मेरे रिकोर्ड पर कागज सं० 31 पर मौजूद है जिसकी छाया प्रति को मैं असल के अनुसार शिनाख्त करता हूँ। पत्र के अनुपालन में विभाग द्वारा एक आख्या प्रधान कार्यालय बडौदा हाऊस नई दिल्ली संख्या 220–E/Misc/Fake Appttee./Rectt/ 2017 दिनांक 02/08/2019 में मुकेश शर्मा कृते महाप्रबंधक (का.) द्वारा क्षेत्राधिकारी थानाभवन जनपद शामली को भेजी गई थी जिसमे उनके द्वारा यह अंकित किया गया था कि उत्तर रेलवे द्वारा श्री संजय कुमार पुत्र रामनिवास को ग्रुप डी के पद के लिए पत्र संख्या GM (P)/ 85833/ RRB/NR /Confirmation /Confidential/02/12016 d दिनांक 26/02/2016

जारी नही किया गया है। इस पत्र पर मेरे रिकोर्ड मेरे अनुसार कागज संख्या 32 है, जिसकी सही छाया प्रति मैं आज स्वयं से असल को देखकर सत्यापित कर माननीय न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षीगण के रूप में कुल 9 साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। दिनांक 11.03.2026 को विशेष लोक अभियोजक(एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अन्य किसी साक्षी अभियोजन साक्षी को परीक्षित कराये जाने से इंकार किये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

19. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 भा०द०सं० दिनांक 12.03.2026 को अंकित किये गये हैं। अपने उक्त बयानों में अभियुक्त संदीप ने उसके विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में गलत कथन किया जाना कहा गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयानों के बाबत गलत बयान लिया जाना कहा है। साक्षी पी०डब्लू०–2 के बयानों के संबंध में रंजिशन गलत कथन किया जाना कथन किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–3 के बयानों के संबंध में यह कहा गया है कि वह साक्षी राजनीतिक व्यक्ति है, उसके द्वारा गलत कथन किया गया है। साक्षीगण पी०डब्लू०–4 एवं 5 के बयानों के संबंध में गलत कथन किया जाना कहा गया है। साक्षी पी०डब्लू०–6 के बयानों के संबंध में गलत विवेचना कर चार्जशीट प्रस्तुत करने की बात कही गयी है। साक्षीगण पी०डब्लू०–7, पी०डब्लू०–8 एवं पी०डब्लू–9 के बयानों को गलत बताया गया है। अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध दवाब बनाने के लिये झूठी गवाही दिये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत अपराध के संबंध उसके द्वारा मुकदमा कायम कराया जा चुका है। अभियुक्त ने सफाइ साक्ष्य देने का कथन किया है।

20. बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य में अभिलेखिय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं।

एक किता सत्यप्रति नकल एफ०आई०आर० नं०- 85/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र आदि।	प्रदर्श D-01
एक किता सत्यप्रति नकल आरोप पत्र सरकार बनाम राजेन्द्र आदि एफ०आई०आर० नं०- 85/2018।	प्रदर्श D-02
एक किता सत्यप्रति नकल परिवाद पत्र रामकुमार बनाम दीपक अन्तर्गत धारा -138 एन०आई० एक्ट।	प्रदर्श D-03
एक किता सत्यप्रति नकल सुलहनामा रामकुमार बनाम दीपक अन्तर्गत धारा -138 एन०आई० एक्ट।	प्रदर्श D-04
एक किता सत्यप्रति नकल आदेश निर्णय रामकुमार बनाम दीपक धारा -138 एन०आई० एक्ट।	प्रदर्श D-05
एक किता सत्यप्रति नकल परिवाद पत्र रामकुमार बनाम दीपक धारा -138 एन०आई० एक्ट।	प्रदर्श D-06
एक किता सत्यप्रति नकल तलबी आदेश रामकुमार बनाम दीपक धारा -138 एन०आई० एक्ट।	प्रदर्श D-07

बचाव पक्ष की तरफ से कोई मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अन्य कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किये जाने पर न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

21. मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।

22. अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित साक्षीगण के मुख्य परीक्षा बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में तथ्य के सभी साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना कहा है। औपचारिक साक्षीगण ने सभी पुलिस प्रपत्रों एवं

अभिलेखों को विधिनुसार न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है। उक्त अभिलेखों से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि हो रही है। साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त संदीप द्वारा पहले नौकरी का झांसा देते हुए वादी मुकदमा संजय कुमार से मुबलिग 2,25,000/– रूपये की धनराशि प्राप्त की गयी और बाद में उसे कूटरचित नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। वादी द्वारा इस छल के संबंध में जब अभियुक्त से बातचीत की गयी और अपनी धनराशि वापिस मांगी गयी तब वादी को अभियुक्त द्वारा जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए गाली–गलौच एवं जाने से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। समाज में बढ़ती हुयी बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए इस तरह के जालसाज लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और उनके साथ छल कारित कर रहे हैं। अभियोजन द्वारा अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गई है।

23. अभियुक्त संदीप के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्यतः यह कहा गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त स्वयं भुक्तभोगी है उसके साथ छल कारित हुआ है। इस संबंध में बचाव पक्ष की तरफ से जो अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी मुकदमा पी०डब्लू–1 संजय कुमार के प्रति परीक्षा बयानों का हवाला दिया गया है जिसमें साक्षी ने मुख्यतः यह कहा है कि 2016 की बात है, जब अभियुक्त ने मुझे रेलवे में वैकेंसी की बात बतायी थी। यह अक्टूबर की बात हैं। मैंने वर्ष 2012 में 12वीं पास किया और उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा था मेरी ग्रेजुएशन 2017 में पूरी हुयी। संदीप ने मुझे रेलवे में ग्रुप सी की बम्पर वैकेंसी की बात बतायी। मुझे पोस्ट टिकट कलेक्टर के लिए बताया था **मैंने विज्ञापन किसी भी पोस्ट के लिए नहीं देखा** था और **न ही शैक्षिक योग्यता के बारे में देखा था।** मैंने **मुल्जिम को बतौर रिश्वत पैसे नहीं दिये थे।** अभियुक्त संदीप रेलवे में नौकरी नहीं करता है। मैं नहीं जानता हूं कि अभियुक्त संदीप ने पहले किसी को नौकरी लगवायी या नहीं। इसकी मुझे पता नहीं है कि गांव में और लोगों ने नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिये थे। संदीप ने नौकरी लगवाने के संबंध में वर्ष 2015 में बात की थी। **नियुक्ति का पत्र मुझे बाय हैंड मिला था। नियुक्ति का पत्र मुझे कब मिला था, मुझे पता नहीं। फिर कहा नियुक्ति पत्र वर्ष 2016 में मिला।** नियुक्ति **पत्र मिलने से पहले मेरा मेडिकल हुआ था, मेरा मेडिकल उत्तर रेलवे के हॉस्पिटल में हुआ था। मुझे दिनांक ध्यान नहीं है। मेरा मेडिकल किस तिथि में हुआ था मुझे पता नहीं।** मैं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उत्तर रेलवे में डी०आर०एम० आफिस दिल्ली गये थे। **वहां दिल्ली आफिस में मेरे बड़े भाई दीपक गये थे। उन्होंने ही बात करी होगी मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की।** नियुक्ति पत्र मेरे सामने तैयार नहीं किया गया था। मुझे सिर्फ दिया गया था। **नियुक्ति पत्र किसने तैयार किया, मुझे नहीं पता न ही मेरे सामने तैयार किया।** अभियुक्त संदीप को जो पैसे दिये थे वह मेरे पिताजी ने दिये थे। मैंने इस घटना के संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था वह पत्रावली पर मौजूद नहीं है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैंने मानवाधिकार दिल्ली में प्रार्थना पत्र दिया था। पत्रावली पर कागज सं०– 5क/4 मानवाधिकार दिल्ली को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति मौजूद है उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। **यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र में संदीप ने गाली–गलौच किसके सामने दी प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है।** यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र न्यायालय में आठ महीने बाद दिया था। यह कहना सही है कि मैंने सोच समझकर दिया था। मुझे मु०अ०सं०– 85/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 420,468,471,465 भा०द०सं० थाना बाबरी की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यह मुकदमा संदीप द्वारा जिन लोगों ने संदीप व मेरे व गांव के अन्य लोगों द्वारा जो फ्राड किया गया था दर्ज कराया है। इस मुकदमे में मैं गवाह हूं। सोनू पुत्र रामकुमार को मैं जानता हूं मेरे ही गांव का है। सोनू पुत्र रामकुमार ने संदीप को

नौकरी लगवाने के लिए पैसे नहीं दिये थे। सोनू पुत्र रामकुमार मेरा गवाह है। इन अज्ञात व्यक्तियों से पैसे देने से पहले मिला था, फिर डाक्यूमेंट देने के टाइम मिला था, फिर दिल्ली में जब मेरा मेडिकल हुआ था, तब मिला था फिर उसके बाद उनसे कभी नहीं मिला। **यह कहना सही है कि संदीप केवल इन व्यक्तियों से मिलवाने वाला था, नौकरी लगवाने का आश्वासन उन अज्ञात व्यक्तियों ने दिया था मैंने अज्ञात व्यक्तियों से उनके नाम–पता के बारे में कोई बात नहीं पूछी।** मैंने नौकरी के संबंध में कोई लिखित परीक्षा नहीं दी थी, न ही मैंने कोई इंटरव्यू दिया। मुझे इस बात की जानकारी है कि रेलवे में नौकरी के लिये लिखित परीक्षा होती है, उसे पास करना जरूरी होता है। विपिन पुत्र राजेन्द्र मेरे गांव का है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विपिन भी इस फ्राड का शिकार है। अभियुक्त संदीप के बहनोई राजसिंह पुत्र मंगल सिंह व सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल के साथ भी यह फ्राड हुआ था या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। मेरे गवाह राजेन्द्र उर्फ लीलू मेरे बिरादरी के हैं। **मेरे पिताजी ने सुभाष फौजी से पचास हजार रूपये ब्याज पर लिये, फिर दोबारा उन्हीं से एक लाख रूपये लिये। उसके बाद पचहत्तर हजार रूपये धर्मेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह से ब्याज पर लिये थे।** यह मेरे इस मुकदमे में गवाह नहीं हैं। यह कहना सही है कि मैंने या मेरे पिताजी ने अपने पास से पैसे नहीं दिये थे।

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–1 के उपरोक्त वर्णित प्रति परीक्षा बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह साक्षी रंजिशन अभियुक्त संदीप को झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। इस साक्षी ने स्वयं इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जिस नौकरी का आश्वासन उसको दिया गया था उसका कोई भी विज्ञापन उसने नहीं देखा था और न ही उसे उस नौकरी की शैक्षिक योग्यता के बारे में कोई जानकारी थी। यह साक्षी एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति है जिसे इन तथ्यों को पूर्ण रूप से जानकारी है कि किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिये पहले विज्ञापन निकाला जाता है उसके उपरान्त फार्म भरे जाते हैं तथा फिर परीक्षा आयोजित होती है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा किसी भी लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था। बिना लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण किये हुए वह अपना मेडिकल चैकअप कराने के लिये क्यों व किन परिस्थितियों में गया, यह तथ्य भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। मेडिकल चैक कराने के समय संदीप उसके साथ था अथवा नहीं, इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नियुक्ति पत्र उसे बाय हैंड मिला था लेकिन यह नियुक्ति पत्र उसे किसने दिया यह भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि कथित नियुक्ति पत्र कब और किसके द्वारा बनाया गया। यह साक्षी प्रश्नगत प्रकरण के अभियुक्त संदीप द्वारा दायर किये गये मु०अ०सं०–85/2018 का गवाह है। पत्रावली में संलग्न उक्त अपराध सं० से संबंधित आरोप पत्र प्रदर्श डी०–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण के रूप में क्रम सं०–6 पर संजय पुत्र रामनिवास का नाम अंकित है परन्तु जानबूझकर रंजिशन झूठा फंसाने के उद्देश्य से उसके द्वारा अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है। इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो कथित धनराशि अभियुक्त को दी गयी, वह उसके अथवा उसके पिता की नहीं थी। इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त संदीप द्वारा उसकी मुलाकात अज्ञात व्यक्तियों से करायी गयी थी, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा अन्य कोई भी आश्वासन कभी नहीं दिया गया था। इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई भी बल नहीं मिलता है।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–2 रामनिवास के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कथन दिया गया है कि मेरे लड़के को संदीप ने रेलवे का फार्म भरवाया था। मेरे लड़के ने यह बात मुझे बतायी थी, फार्म भरते हुए नहीं देखा था। जो पैसे हमने दिये थे वे पैसे किसी और से लेकर दिये थे जिनके नाम धर्मेन्द्र व सुभाष से लिये थे। इन लोगों से पैसे उधार लिये थे, ब्याज पर नहीं

लिये थे। **संदीप ने हमारे से नौकरी लगवाने के लिये के नाम के पैसे नहीं लिया था, बल्कि अपना खर्चा–पानी लिया था।**

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–2 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस साक्षी ने अपने बेटे को रेलवे का फार्म भरते हुए नहीं देखा था, इस साक्षी के कथनानुसार दी गयी कथित धनराशि उसकी स्वयं की नहीं थी, बल्कि उसने उधार लेकर दी थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त संदीप द्वारा ली गयी कथित धनराशि नौकरी लगवाने के लिये नहीं बल्कि खर्चा–पानी के लिये लिया गया था। इस साक्षी ने जो भी बातें बतायी हैं वह अपने पुत्र के बताये अनुसार कही हैं। इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान एवं विवेचक को दिये गये बयानों में काफी भिन्नता है और उन भिन्नताओं के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–3 राजेन्द्र के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कथन दिया गया है कि मेरी और बाली एक ही जाति के हैं। संदीप ने संजय को रेलवे में नौकरी निकलने के बारे में बताया था, तारीख मेरे ध्यान नहीं है, **वर्ष 2018 की बात है।** मैं यह भी नहीं बता सकता कि किस समय संदीप ने संजय को रेलवे की नौकरी के बारे में बताया था। मुझे न तो महीना याद है, न समय और न तारीख याद है। मेरी जानकारी में नहीं है कि रेलवे में नौकरी कैसे लगती है। यह कहना सही है कि रेलवे में नौकरी के लिये फार्म भरा जाता है। उसके बाद लिखित परीक्षा होती है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इण्टरव्यू होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है। **मेरी जानकारी में नहीं है कि संजय नियुक्ति पत्र मिलने के बाद रेलवे अस्पताल दिल्ली गया था या नहीं।** संजय ने दिल्ली रेलवे अस्पताल में मेडिकल कराने के संबंध में कोई बयान दिया है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। संदीप के घर पैसे वापिस मांगने रामनिवास व संजय गया था, मैं नहीं गया था। **मारपीट व गाली–गलौच वाली घटना रामनिवास के घर की है, मैंने जो मुख्य परीक्षा में बयान दिया है, वह गलत है। मुख्य परीक्षा में लिखी बात पैसे तो देने ही पड़ेंगे, यह बात मैंने नहीं कही, इसमें कैसे लिखी गयी है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि संदीप ने मेरे सामने कोई नियुक्ति पत्र नहीं तैयार किया। यह कहना सही है कि उस पत्र को जो इस्तेमाल किया संजय ने किया।** मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि संदीप ने फर्जी नियुक्तियों के संबंध में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत करा रखा है या नहीं। जितनी भी घटना संजय के साथ हुयी उसमें केवल संदीप ही था और कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और न ही उसके साथ कोई और व्यक्ति आया। **संजय ने अज्ञात व्यक्तियों को डाक्यूमेंट देने या रेलवे अधिकारी के रूप में परिचय संदीप द्वारा कराये जाने के संबंध में कोई बयान दिया है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।** यह कहना सही है कि नियुक्ति पत्र लेकर मैं संजय के साथ दिल्ली नहीं गया था और न ही मेरे सामने किसी रेलवे के अधिकारी ने उक्त नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया था। यह कहना सही है कि संदीप ने मुझे अपनी जानकारी में किसी मंत्री का नाम नहीं बताया था। **मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संजय कहां से पैसे लाया और संदीप को दिया।**

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–3 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस साक्षी ने गांव की राजनैतिक रंजिश के कारण झूठा बयान दिया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा बयानों में काफी भिन्न–भिन्न बयान दिये हैं जिससे इस साक्षी के बयानों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इस साक्षी ने वादी मुकदमा एवं उसके पिता के बयानों से अलग तथ्यों का उल्लेख किया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इसे घटना के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, मात्र राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण वादी के पक्ष में आकर उसने न्यायालय में झूठा बयान दिया है। प्रथम सूचना रिपार्ट के अनुसार घटना वर्ष 2016 की है जबकि यह साक्षी घटना वर्ष 2018

की बता रहा है इस तथ्य से भी इस साक्षी की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा बयानों में गाली–गलौच की घटना का घटना स्थल संदीप का घर बताया है जबकि अपने प्रति परीक्षा बयानों में इसका विपरीत कथन किया है। इस साक्षी के इन बयानों से कथित घटना का घटना स्थल प्रमाणित नहीं हो रहा है।

29. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–4 सोनू के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कथन दिया गया है कि मेरा संदीप से कोई मतलब नहीं है और न ही संदीप ने मुझे रेलवे में भर्ती कराने के लिये कोई धोखाधड़ी व पैसे लिये। एक मुकदमा अपराध सं० 85/2018 अन्तर्गत धारा 420,468,471,465 भा०द०सं० सत्येन्द्र पुत्र महेश, दीपक पुत्र रमेशचन्द्र आदि के खिलाफ दर्ज कराया था या नहीं, इस बात की जानकारी मेरे पिताजी को होगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संदीप व दीपक ने मुझे रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर पैसे लिये हों। मु०अ०सं० 85/2018 में मैं गवाह हूं या नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता और मेरे पिताजी गवाह हैं या नहीं, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है। मैंने इस भर्ती में भर्ती होने के लिये कोई आवेदन नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी ने दीपक पुत्र रमेशचन्द्र निवासी खुर्जा व सतेन्द्र पुत्र महेशपाल निवासी पचगयी शिकारपुर जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध 138 एन०आई० एक्ट का मुकदमा कर रखा है। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी ने उक्त परिवार में यह लिखा रखा हो कि मुझ गवाह सोनू को रेलवे में भर्ती कराने के लिये इन लोगों ने पैसे लिये हों और भर्ती न कराने पर पैसे चैक के माध्यम से वापिस लिये हों और वह चैक बाउंस हो गया हो, उनके संबंध में उक्त मुकदमे कर रखे हों। संदीप ने संजय को जो लैटर दिया था वह मेरे सामने तैयार नहीं किया गया था। मैं यह भी नहीं बता सकता कि लैटर किसने तैयार किया। जिस समय संदीप व संजय का झगड़ा हुआ, उस समय रात के 8 बजे थे।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–4 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यह साक्षी पूर्णतया झूठ बोल रहा है अभियुक्त संदीप पर दवाब बनाने के उददेश्य से इसने झूठा बयान दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध सफाई साक्ष्य प्रदर्श डी०–3, डी०–4, डी०–5, डी०–6 व डी०–7 के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी के पिता रामकुमार द्वारा अभियुक्तगण सतेन्द्र व दीपक के विरूद्ध मुकदमे किये हुए हैं जबकि यह साक्षी इन सभी तथ्यों से पूर्णतया इंकार कर रहा है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह वादी मुकदमा संजय के साथ दिल्ली नहीं गया था। यह भी स्वीकार कर रहा है कि कथित फर्जी नियुक्ति पत्र कब और किसके द्वारा तैयार किया गया उसे इसकी भी जानकारी नहीं है।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–6 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कथन दिया गया है कि मुझे फर्जी अपाइंटमेन्ट लैटर संजय वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। जिस कम्प्यूटर से फर्जी कागजात तैयार किये गये हों वह किस कम्प्यूटर से बने थे, वह कम्प्यूटर बरामद नहीं हुआ। बरामदगी नियुक्ति पत्र व निवास पत्र मेरे द्वारा नहीं की गयी है बल्कि मुझे वादी मुकदमा ने लाकर दिया था। मु०अ०सं० 85/2018 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा०द०सं० थाना बाबरी अभियुक्त संदीप कुमार द्वारा राजेन्द्र आदि के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। जिसकी विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मुझे जानकारी है कि एस०सी०/एस०टी० एक्ट जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के आधार पर लगाया जाता है। **प्रार्थना पत्र या अपने 161 सी०आर०पी०सी० के बयान या मजीद बयान में वादी मुकदमा द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।** पत्रावली को देखकर कहा कि मेरे द्वारा विवेचना के दौरान वादी मुकदमा के बयान व अन्य गवाहन व स्वतंत्र गवाहन के 161 सी०आर०पी०सी० के बयान दर्ज किये गये, **जिनमें कहीं भी कोई जाति**

सूचक शब्द प्रयोग होना नहीं पाया गया है। संदीप के किसी मंत्री से कोई संबंध हैं या नहीं, इसकी कोई विवेचना नहीं की गयी। मैंने दो अज्ञात व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं की और मैंने इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की थी। मुकदमा वादी ने दो अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया न ही उसने अपने बयान में बताया क्योंकि उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। वादी मुकदमा द्वारा अपने क्वालिफिकेशन से संबंधित रेलवे में नौकरी लगवाने के लिये कोई भी कागजात संदीप को नहीं दिये थे। उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ही दिल्ली में वादी मुकदमा व अन्य का मेडिकल कराया गया। वो मेडिकल के कागज भी वादी मुकदमा द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इसलिये विवेचना में शामिल नहीं किये गये। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि फर्जी नियुक्ति पत्र किस कम्प्यूटर पर तैयार किये गये थे। संजय का नियुक्ति पत्र अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ है बल्कि वादी मुकदमा ने स्वयं लाकर मुझे दिया है। पत्रावली पर कागज सं०– 15क/1 व 15क/2 वादी मुकदमा द्वारा दौरान विवेचना उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें दिनंक 01.02.2016 को अंकन तीस हजार रूपये व 08.03.2016 द्वारा अंकन तीस हजार रूपये के वाउचर दाखिल किये गये हैं जिन पर जो विपिन कुमार व एक अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किये गये हैं किस संबंध में जमा किये हैं इसकी कोई जानकारी मेरे द्वारा विवेचना में नहीं की गयी है और न ही विवेचना के दौरान विपिन कुमार के बयान दर्ज किये गये हैं और न ही उसे गवाह बनाया गया है।

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–6 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस विवेचक ने सरसरी तौर पर विवेचना की है वादी मुकदमा के साथ साज कर झूठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कथित फर्जी नियुक्ति प्रमाणपत्र कब, कहां और किस कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया, इस बात की कोई भी जानकारी दौरान विवेचना नहीं की गयी है। इस साक्षी ने कथित अज्ञात व्यक्तियों के बारे में भी कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दौरान विवेचना वादी मुकदमा अथवा किसी भी अन्य साक्षी ने किसी भी प्रकार के जाति सूचक शब्दों के उल्लेख होने की बात नहीं कही है। इसके बावजूद भी इस साक्षी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत झूठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–7 निरीक्षक रविन्द्र कुमार के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कथन दिया गया है कि मैं मुकदमे का विवेचक नहीं हूं। इस मुकदमे के विवेचक के द्वारा मुझे अभियुक्त संदीप को गिरफतार करने के लिये पूर्व में दिशा–निर्देश मौखिक रूप से दिये गये थे आने जाने व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था और बिना नाम बताये चले गये। मेरे द्वारा गवाही न देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। **बरामदगी व गिरफतारी का नक्शा नजरी मेरी निशानदेही पर बनाया गया था या नहीं, मुझे इस समय याद नहीं है।** गिरफतारी व बरामदगी के दौरान भी गवाह तलाश किये गये थे भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। **बरामदगी व गिरफतारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।** यह बात सही है कि मेरे द्वारा फर्द बरामदगी में लिखा गया है कि उपरोक्त माल को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया व गिरफतारी प्रपत्र तैयार किया गया। पर्स के अन्दर की धनराशि, आधार कार्ड, ए०टी०एम० कार्ड का मुकदमे से कोई संबंध नहीं था। केवल अभियुक्त की कस्टडी से बरामद होने के कारण सील किये गये थे। **वस्तु प्रदर्श –9 व 10 जो तथाकथित नियुक्ति पत्र हैं, उस पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं, केवल प्रिंट किये हुए दस्तावेज हैं। वस्तु प्रदर्श–11 भर्ती फार्म है जिस पर भी किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं।** वस्तु प्रदर्श–4,5,6 व 7 शपथ पत्र की छायाप्रतियां हैं। **यह कहना सही है कि उक्त शपथपत्र उच्चाधिकारीगण को संबोधित है जिसमें अभियुक्त से लेन–देन होने के विवाद व उसके विरूद्ध**

वाद न चलाने के संबंध में कथन किये गये हैं। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने अभियुक्त से यह प्रपत्र कहां से आये इस संबंध में पूछताछ की थी या नहीं। **यह कहना सही है कि अभियुक्त की गिरफतारी के समय उसके पास से वादी मुकदमा संजय पुत्र रामनिवास से संबंधित कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं।**

34. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–7 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के पास से जो कथित बरामदगी दर्शित की गयी है वह झूठी है। फर्द बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जो प्रपत्र अभियुक्त के पास से बरामद होने कहे गये हैं वे केवल छायाप्रतियां हैं, जिनका कोई भी अनुचित लाभ किसी भी प्रकार से नहीं लिया जा सकता है। विवेचक द्वारा अभियुक्त के पास से बरामद कथित अभिलेखों के संबंध में गहनता से विवेचना कर उसकी प्रमाणिकता के संबंध में कोई भी जांच नहीं की गयी है। इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई भी बल नहीं मिलता है।

35. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–8 दीपचन्द के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कहा है कि संजय भी मेरी बिरादरी का है। संजय नाम के दो व्यक्ति हैं। मु०अ०सं० 85/2018 धोखाधड़ी के संबंध में मुकदमा लिखवा रखा हो, इसके संबंध में जानकारी नहीं है। मैं राजेन्द्र पुत्र राजपाल को नहीं जानता हूं। मैं सेवानिवृत्त अध्यापाक हूं और गांव से बाहर रहता हूं। मैं दो साल से पानीपत रह रहा हूं। **संदीप ने मेरे सामने कोई डाक्यूमेंट नौकरी लगवाने के संबंध में नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं है कि संदीप ने संजय को नौकरी लगवाने के संबंध में कोई डाक्यूमेंट दिये या नहीं। संदीप व संजय की नौकरी लगवाने के संबंध में कोई बात मेरे सामने नहीं हुयी, न मेरे सामने कोई पैसे का लेन–देन हुआ।**

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–8 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा बयानों में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अपने प्रतिपरीक्षा बयानों में भी इसने अभियुक्त संदीप द्वारा संजय के साथ हुई किसी भी बातचीत एवं पैसों के लेन–देन के बाबत कोई भी जानकारी होने से मना किया है। यह साक्षी वादी मुकदमा की जाति से संबंधित है इसलिये उसके द्वारा न्यायालय में आकर झूठी गवाही देने का प्रयास किया गया है।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–9 दिनेश सैनी के प्रतिपरीक्षा बयानों का हवाला न्यायालय के समक्ष दिया है। जिसमें इस साक्षी ने मुख्यतः यह कहा है कि मैं कृते महाप्रबंधक(का.) मुकेश शर्मा के हस्ताक्षर नहीं पहचानता हूं इसलिये मैं नहीं बता सकता कागज सं०–32 प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली द्वारा संख्या–220-E/ Misc./Fake Appttee/Rectt/2017 दिनांक 02.08.2019 मुकेश शर्मा द्वारा जारी किया गया है या नहीं, लेकिन रिकार्ड में उपलब्ध है। मेरे रिकार्ड के कागज सं० 31/1 (क्षेत्राधिकारी थानाभवन के पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र) किसके द्वारा निर्गत किया गया है यह मैं नहीं बता सकता। आज खुद कहा कि यह जांच के दौरान फर्जी पाया गया था जिसके संबंध में मुकेश शर्मा के द्वारा पत्र क्षेत्राधिकारी थानाभवन को भेजा गया है।

38. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू–9 के उपरोक्त वर्णित बयानों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस साक्षी ने विधिनुसार अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श–क6 को प्रमाणित नहीं किया है। इस साक्षी ने दौरान विवेचना विवेचक द्वारा कथित फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र की जांच करने अथवा न करने के संबंध में अपनी अनभिज्ञता जतायी है। अतः इस साक्षी के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

39. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। जिस कथित नियुक्ति पत्र कागज सं०–12ख/2

ता 12 ख/3 का हवाला देते हुए जो आरोप अभियुक्त संदीप पर लगाये गये हैं उसके सम्यक अवलोकन से प्रथम दृष्टया देखते ही उसके जाली होने की बात परिलक्षित हो रही है। उक्त प्रपत्र के विषय में 'Selection for the post of Group “D”, Cat mp-06&08 के पैरा सं०–1 में यह लिखा है कि 'On the basis of written examination organized by this RRB, for selection of the post Group “D”, Cat mp-06&08 Emp Notice No.-RRB/NER/06/2016(Under Delhi Division).’ तथा इसी के पैरा सं०-3 में यह लिखा है कि After confirmation of final selection procedure. The Northern Railway is prepared to offer you post for Group “C”, the pay scale occuring to with pay commission pay based is 5200/--20200/- and grade pay 2400/- and other allowances.

40. इस अभिलेख के सम्यक अवलोकन से प्रथम दृष्टया इसके जाली होने की बात परिलक्षित हो रही है। वादी मुकदमा स्वयं एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति है उसके द्वारा जब किसी लिखित परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुआ गया और बिना किसी परिणाम के अपना मेडिकल कराया जाना व भ्रामक दस्तावेज के आधार पर दिल्ली जाकर उसकी प्रमाणिकता की जांच कराया जाना स्वतः घटना की सत्यता को संदिग्ध कर देते हैं। अभियोजन की तरफ से तथ्य के सभी साक्षीगण ने बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये सभी सफाई साक्ष्यों के संबंध में अपनी जो अनभिज्ञता दर्शित की है उनसे भी इन साक्षीगण के बयानों की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। अभियुक्त द्वारा कोई भी कूटरिचत दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा छल कारित करते हुए कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है। घटना दिनांकित 04.07.2018 भी मात्र अभियुक्त पर दवाब कारित करने के उददेश्य से झूठे कथानक के आधार पर बनायी गयी है। साक्षीगण के बयानों से उक्त घटना के घटना स्थल की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही है। अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

41. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

42. अभियुक्त संदीप के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया है। उक्त आरोपों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि **धारा 420 भा०द०सं०** छल कारित करने के संबंध में दाण्डिक प्रावधानों को उपबंधित करती है। उक्त के अनुसार जो कोई धोखाधड़ी करता है और किसी भी प्रकार की बेईमानी से व्यक्ति को धोखा देकर किसी की संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को वितरित करने, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने, या हस्ताक्षरित या सील की गई किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उक्त धारा के आकृष्ट होने के लिये निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है–

क– आरोपी ने पीड़ित के साथ जानबूझकर कोई झूठा या कपटपूर्ण व्यवहार किया हो।

ख- धोखा देने का इरादा शुरुआत से ही होना चाहिए, न कि बाद में पैदा हुआ हो।

ग- आरोपी द्वारा दिए गए झांसे में आकर पीड़ित ने स्वेच्छा से कोई संपत्ति, धन या मूल्यवान वस्तु आरोपी को सौंप दी हो।

घ- उस कपटपूर्ण कृत्य से पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय या शारीरिक नुकसान हुआ हो।

धारा 467 भा०द०सं० मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना से संबंधित है। उक्त के अनुसार जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति

की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 467 भा०द०सं० संहिता का अपराध कारित होने के लिये निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है-

क- अभियुक्त (आरोपी) ने कोई जाली दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का हिस्सा तैयार किया हो।

ख- वह जाली दस्तावेज़ निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए। कोई मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या किसी वसीयतनामा का प्राधिकार, किसी पुत्र को गोद लेने का अधिकार, कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को पैसे का भुगतान करने, कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने, या धन प्राप्त करने का अधिकार देता/मान्यता देता हो।

ग- आरोपी का उद्देश्य किसी को धोखा देना, अनुचित लाभ कमाना या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना रहा हो।

घ- आरोपी को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वह जो दस्तावेज़ बना रहा है, वह जाली (कूटरचित) है।

धारा 468 भा०द०सं० धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी को परिभाषित करती है। उक्त के अनुसार जो कोई भी जालसाजी करता है, इस इरादे से कि [जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

धारा 468 भा०द०सं० संहिता का अपराध कारित होने के लिये निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है-

क- आरोपी ने कोई झूठा दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (धारा 464 के तहत) बनाया हो।

ख- यह कार्य इस विशिष्ट इरादे के साथ किया गया हो कि उस जाली दस्तावेज़ का उपयोग भविष्य में किसी के साथ छल (धोखा) करने के लिए किया जाएगा।

धारा 471 भा०द०सं० कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाने को उपबंधित करती है। उक्त के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो।

धारा 471 भा०द०सं० संहिता का अपराध कारित होने के लिये निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है-

क- जिस दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या संपत्ति के निशान का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह असल में जाली होना चाहिए (अर्थात वह IPC की धारा 463 के अंतर्गत धोखाधड़ी के इरादे से बनाया गया हो)।

ख- आरोपी को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए या यह विश्वास करने का ठोस कारण होना चाहिए कि वह दस्तावेज़ जाली है, और फिर भी वह उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से "असली"

(Genuine) के रूप में इस्तेमाल करे।

43. प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में यदि विचार किया जाये तो वादी मुकदमा की तरफ से पैसों के लेन-देन के संबंध में जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं उनमें पंजाब नेशनल बैंक की जमा पर्ची दिनांकित 08.03.2016 व 01.02.2016 की प्रमाणित प्रतियां 15ख/1 व 15ख/2 प्रस्तुत की गयी हैं परन्तु उक्त जमा पर्चियों पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर के रूप में विपिन कुमार के हस्ताक्षर अंकित हैं। विपिन कुमार द्वारा जमा की गयी धनराशि से वादी मुकदमा संजय कुमार का क्या संबंध है यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। साक्षी पी०डब्लू-7 रविन्द्र कुमार के बयानों के अनुसार अभियुक्त संदीप की गिरफतारी के समय उसके कब्जे से विपिन कुमार व कुलदीप कुमार तथा सुनील कुमार, संजीव कुमार, रोहित से संबंधित ज्वाइंनिंग लैटर/नियुक्ति पत्र की छायाप्रतियों के भी बरामद होने की बात कही गयी है और विवेचक द्वारा दाखिल किये गये आरोप पत्र की गवाहन सूची में क्रम सं० 13 पर कुलदीप पुत्र तेजपाल का नाम बतौर साक्षी उल्लिखित है परन्तु अभियोजन द्वारा इस साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विपिन कुमार को न तो साक्षी बनाया गया है और न ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी पी०डब्लू-1 ने अपने प्रतिपरीक्षा बयानों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने विज्ञापन किसी भी पोस्ट के लिये नहीं देखा था और न ही शैक्षिक योग्यता के बारे में देखा था। मैंने मुल्जिम को बतौर रिश्वत पैसे नहीं दिये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि नियुक्ति पत्र मुझे बाय हैण्ड मिला था। नियुक्ति का पत्र मुझे कब मिला था मुझे पता नहीं, फिर कहा नियुक्ति पत्र वर्ष 2016 में मिला, नियुक्ति पत्र मिलने से पहले मेरा मेडिकल हुआ था। मेरा मेडिकल उत्तर रेलवे के हास्पिटल में हुआ था। मुझे दिनांक ध्यान नहीं है। मेरा मेडिकल किस तिथि में हुआ था मुझे पता नहीं। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि वहां दिल्ली आफिस में मेरे बड़े भाई दीपक गये थे उन्होंने ही बात करी होगी, मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की। नियुक्ति पत्र मेरे सामने तैयार नहीं किया गया था। नियुक्ति पत्र किसने तैयार किया, मुझे नहीं पता न ही मेरे सामने तैयार किया। इस साक्षी के इन बयानों से यह स्पष्ट है कि बिना किसी विज्ञापन व शैक्षिक योग्यता की जानकारी किये बगैर वादी ने अपने ज्वाइनिंग लैटर का प्राप्त होना कहा है जो कि अस्वाभाविक है। इस साक्षी ने अभियुक्त को बतौर रिश्वत कोई भी पैसा न दिये जाने की बात स्वीकार की है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कथित फर्जी/कूटरचित नियुक्ति पत्र न तो उसके सामने तैयार किया गया था और न ही इस बारे में जानकारी है कि किस व्यक्ति के द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा संजय कुमार का शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं० 5ख/2 की कोई भी प्रमाणित अथवा मूल प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गयी है। कागज सं० 5ख/2 की प्रमाणिकता एवं सत्यता के संबंध में विवेचक द्वारा भी अपनी विवेचना में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। साक्षी पी०डब्लू-1 के बयानों से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि कथित नियुक्ति पत्र अभियुक्त संदीप द्वारा कूटरचित किया गया था अथवा नहीं। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त संदीप ने केवल अज्ञात व्यक्तियों से मिलवाने का काम किया था, उसने कभी भी नौकरी लगवाने का आश्वासन उसे नहीं दिया था बल्कि उक्त आश्वासन उन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी मुकदमा संजय कुमार को दिया गया था जिसके नाम पता के बारे में वादी मुकदमा ने कोई जानकारी नहीं बतायी है। साक्षी पी०डब्लू-2 जो कि वादी मुकदमा का पिता है उसने भी अपने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि संदीप ने हमारे से नौकरी लगवाने के लिये के नाम के पैसे नहीं लिया था, बल्कि अपना खर्चा-पानी लिया था। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियुक्त संदीप की कथित अपराध में संलिप्तता प्रमाणित नहीं हो रही है। साक्षी पी०डब्लू-3 राजेन्द्र ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किये हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है कि संजय नियुक्ति पत्र मिलने के बाद रेलवे अस्पताल दिल्ली गया था या नहीं। संजय ने अज्ञात

व्यक्तियों को डाक्यूमेंट देने या रेलवे के अधिकारी के रूप में परिचय संदीप द्वारा कराये जाने के संबंध में कोई बयान दिया है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संजय कहां से पैसे लाया और संदीप को दिया। अतः इस साक्षी के बयानों से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है कि कथित नियुक्ति पत्र अभियुक्त संदीप द्वारा तैयार किया गया था अथवा नहीं। वादी मुकदमा या उसके पिता द्वारा अभियुक्त को किस प्रकार से धनराशि दी गयी यह तथ्य भी इस साक्षी के बयानों से प्रमाणित नहीं हो रहा है। साक्षी पी०डब्लू-4 सोनू के संबंध में बचाव पक्ष की तरफ से जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह समीचीन प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों प्रदर्श डी०-3 ता प्रदर्श डी०-7 को अवलोकित कराये जाने के उपरान्त भी यह साक्षी उसमें उल्लिखित तथ्यों को इंकार कर रहा है जबकि उक्त मुकदमे उसके पिता रामकुमार की तरफ से दाखिल किये गये थे। यह साक्षी जानबूझकर तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है जिससे इस साक्षी की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है। साक्षी पी०डब्लू-7 निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने भी अपने बयानों में यह कहा है कि बरामदगी व गिरफतारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। वस्तु प्रदर्श-9 व 10 जो तथाकथित नियुक्ति पत्र हैं उस पर न तो किसे के हस्ताक्षर हैं, केवल प्रिंट किये हुए दस्तावेज हैं। वस्तु प्रदर्श-11 भर्ती फार्म है जिस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं। वस्तु प्रदर्श–4,5,6 व 7 शपथ पत्र की छायाप्रतियां हैं। यह कहना सही है कि उक्त शपथपत्र उच्चाधिकारीगण को संबोधित है जिसमें अभियुक्त से लेन–देन होने के विवाद व उसके विरूद्ध वाद न चलाने के संबंध में कथन किये गये हैं। यह कहना सही है कि अभियुक्त की गिरफतारी के समय उसके पास से वादी मुकदमा संजय पुत्र रामनिवास से संबंधित कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। अतः इस साक्षी के बयानों से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त संदीप की गिरफतारी के समय जो कथित अभिलेखों की बरामदगी उससे दर्शित की गयी है वह उसी के द्वारा तैयार की गयी थी अथवा नहीं चूंकि वस्तु प्रदर्श–9,10 व 11 पर किसी के भी हस्ताक्षर न होने की बात इस साक्षी ने स्वीकार की है। इस साक्षी ने अभियुक्त के कब्जे से वादी मुकदमा संजय से संबंधित किसी भी दस्तावेज के बरामद न होने की बात कही है। साक्षी पी०डब्लू–8 दीपचन्द ने भी स्पष्ट रूप से अपने प्रतिपरीक्षा बयानों में यह कहा है कि संदीप ने मेरे सामने कोई डाक्यूमेंट नौकरी लगवाने के संबंध में नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं है कि संदीप ने संजय को नौकरी लगवाने के संबंध में कोई डाक्यूमेंट दिये या नहीं। संदीप व संजय की नौकरी लगवाने के संबंध में कोई बात मेरे सामने नहीं हुयी, न मेरे सामने कोई पैसे का लेन–देन हुआ। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियुक्त संदीप द्वारा कूटरचित दस्तावेज़ तैयार किये गये थे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानाक से भिन्न अपने बयान दिये हैं इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही है। अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर संलग्न उम्मीदवार का शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र पर दिनांक 29.12.2015 की तिथि अंकित है तथाकथित नियुक्ति पत्र पर दिनांक 26.02.2016 की तिथि उल्लिखित है। कथित नियुक्ति पत्र के प्रारम्भ में यह स्पष्ट रूप से अंकित है " On the basis of written examination organized by this RRB" के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी होने की बात कही गयी है जबकि वादी मुकदमा संजय ने यह स्वीकार किया है कि वह कभी भी किसी लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। बिना लिखित परीक्षा का कोई परिणाम आये बगैर वह किन परिस्थितियों में अपना मेडिकल कराने के लिये गया था यह स्पष्ट नहीं किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उम्मीदवार का शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र दिनांकित 29.12.2015 की प्रमाणिकता की जांच नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

44. न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि कथित नियुक्ति पत्र

दिनांकित 26.02.2016 अभियुक्त संदीप द्वारा कूटरचित किया गया। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि कथित कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त संदीप ने किस प्रकार से छल कारित कर मूल्यवान प्रतिभूति की प्राप्ति की है, क्योंकि अभियोजन पक्ष वादी मुकदमा या उसके पिता द्वारा अभियुक्त को दी गयी कथित धनराशि का हस्तांतरण कब और कैसे किया गया इस तथ्य को भी सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा– 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः अभियुक्त संदीप इन आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

45. अभियुक्त संदीप के विरूद्ध धारा 504 व 506 भा०द०सं० के आरोप भी विरचित किये गये हैं। धारा 504 भा०द०सं० शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान कारित करने को उपबंधित करती है। उक्त के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करेगा और उसके द्वारा उसे उत्तेजना देगा, यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसी उत्तेजना के कारण वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 504 भा०द०सं० संहिता का अपराध कारित होने के लिये निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है-

क- आरोपी ने पीड़ित का अपमान जानबूझकर और सोच-समझकर किया हो। ग़लतफ़हमी में या अनजाने में कहे गए शब्द इस धारा में नहीं आते।

ख- अपमान ऐसा होना चाहिए जिससे पीड़ित इतना उत्तेजित (Provoke) हो जाए कि वह प्रतिक्रिया में कानून अपने हाथ में ले ले या सार्वजनिक शांति भंग कर दे।

ग- अपमान करने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए या उसका यह इरादा होना चाहिए कि उसके द्वारा बोले गए या किए गए अपमान से पीड़ित भड़क जाएगा और सार्वजनिक शांति भंग होगी या कोई अपराध करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० आपराधिक धमकी के लिए दंड को प्रावधानित करती है। उक्त के अनुसार जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा; यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने आदि की हो या आग लगाकर किसी संपत्ति को नष्ट करने की हो, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की हो, या सात वर्ष तक के कारावास की सज़ा देने की हो, या किसी स्त्री पर अपवित्रता का आरोप लगाने की हो, तो उसे सात वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 506 भा०द०सं० का अपराध गठित होने के लिये निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिये।

क- आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को कोई धमकी दी जानी चाहिए।

ख- यह धमकी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा (ख्याति), या संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की होनी चाहिए।

ग- धमकी का उद्देश्य या प्रभाव उस व्यक्ति के मन में डर, चिंता या दहशत पैदा करना होना चाहिए, ताकि वह ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

46. प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में यदि विचार किया जाये तो साक्षी पी०डब्लू-1 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में यह कथन किया है कि दिनांक 04.07.2018 को जब वह अपने घर के सामने खड़ा था तब समय करीब रात 8 बजे अभियुक्त उसके सामने आकर गाली-गलौच करने

लगा। बड़ी मुश्किल से उसके पिता एवं राजेन्द्र पुत्र लीलू ने अभियुक्त संदीप से उसका हाथ छुड़वाया। इस साक्षी के इन बयानों में जान से मारने की धमकी दिये जाने के बाबत कोई भी कथन नहीं किया गया है और न ही विशिष्ट शब्दों अथवा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। चूंकि वादी मुकदमा संजय कुमार ही इस मुकदमे का पीड़ित भी है और उसके स्वयं के बयानों में अभियुक्त द्वारा दी गयी कथित गाली-गलौच में प्रयोग किये गये विशिष्ट शब्दों तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी पी०डब्लू-2 रामनिवास जो कि वादी मुकदमा का पिता है उसके मुख्य परीक्षा बयानों का सम्यक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र को किसी भी प्रकार की गाली-गलौच दिये जाने की घटना के बाबत उल्लेख नहीं किया है। साक्षी पी०डब्लू-3 राजेन्द्र जो कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उसने अपने मुख्य परीक्षा बयान में यह कहा है कि संजय, मैं और रामनिवास संदीप राजपूत के घर गये, उसे सारी बात बतायी व पैसे की मांग की। इस साक्षी के कथनानुसार कथित घटना स्थल अभियुक्त संदीप का घर है जबकि विवेचक द्वारा बनायी गयी नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 घटना स्थल वादी मुकदमा के गैलरी के बाहर दर्शित किया गया है। अतः साक्षी पी०डब्लू-3 के बयानों से घटना स्थल की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। साक्षी पी०डब्लू-4 सोनू ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर संजय, संदीप राजपूत के घर गये। संजय ने अपने पैसे संदीप राजपूत से मांगे। अतः इस साक्षी ने भी कथित घटना स्थल अभियुक्त का घर बताया है जबकि विवेचक द्वारा बनायी गयी नक्शा नजरी तथा साक्षीगण पी०डब्लू-1 व पी०डब्लू-2 के बयानों के अनुसार कथित घटना स्थल वादी मुकदमा की घर की गैलरी के बाहर का है। कथित घटना स्थल में आये भिन्नताओं के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू-1 ता 4, किसी के भी मुख्य परीक्षा बयानों में अभियुक्त संदीप राजपूत द्वारा किस विशिष्ट शब्द को गाली-गलौच के रूप में प्रयोग किया गया, उल्लेख नहीं किया गया है।

47. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था Om Prakash Ambadkar Vs. State of Maharashtra, AIR 2025 SC652 में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि One of the essential elements constituting an offence u/s 504 IPC is that there should have been an act or 37 conduct amounting to intentional insult. Where that act is the use of the abusive words, it is necessary to know what those words were in order to decide whether the use of those words amounted to intentional insult. In the absence of these words, it is not possible to decide whether the ingredients of intentional insult are present.

48. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्थाओं Parminder Kaur Vs. State of Punjab, (2020) 8 SCC 811 (Three-Judge Bench) एवं Manik Taneja Vs. State of Karnataka, (2015) 7 SCC 423 में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि Proving the intention of the accused to cause alarm or compel doing or abstaining from some act, and not mere utterances of words, is a prerequisite of successful conviction under Section 506 IPC.

49. न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संदीप के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504 व 506 भा०द०सं० को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त संदीप उपरोक्त धाराओं में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

50. अभियुक्त संदीप के खिलाफ धारा 3(1)(द) व 3(1)(ध) एस० सी० /एस० टी० एक्ट के अन्तर्गत भी आरोप विरचित किये गये हैं। धारा 3(1)(द) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का

अपराध गठित होने के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत अपराध साबित करने के लिए तीन आवश्यक तत्व हैं:

क- आरोपी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होना।

ख- जानबूझकर किसी SC/ST व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान पर अपमान या धमकी देना।

ग- यह घटना सार्वजनिक दृश्य वाले किसी स्थान पर होनी चाहिए।

इस धारा का संबंध मूलतः एस०सी०/एस०टी० वर्ग के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, उसका अनादर करने या उसे डराने-धमकाने से है। मात्र जाति का नाम लेना अपराध नहीं माना जाता, जब तक कि इसके पीछे पीड़ित की जाति के कारण उसे जानबूझकर अपमानित करने का इरादा न हो। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। पीड़ित को एस०सी०/एस०टी० अधिनियम की नियमावली के नियमों के अंतर्गत आर्थिक राहत और मुआवजा भी देय है।

धारा 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत जातिसूचक गाली-गलौज का अपराध बनता है। इस अपराध को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए:

क- आरोपी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित नहीं होना चाहिए।
ख- पीड़ित को जानबूझकर उसकी जाति के नाम पर अपमानजनक या अभद्र शब्द कहना।
ग- यह घटना 'लोक दृष्टि में आने वाले स्थान' अर्थात किसी सार्वजनिक या खुले स्थान पर होनी चाहिए।
घ- आरोपी को यह ज्ञात होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति एस०सी०/एस०टी० समुदाय से हैं और उसका इरादा उसे नीचा दिखाना या अपमानित करना हो।

51. प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में यदि विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 504 व 506 भा०द०सं० में विरचित आरोपों में उसे दोषमुक्त योग्य होना पाया है। अभियोजन पक्ष उक्त दोनों अपराध के बाबत विरचित आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षी पी०डब्लू–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा बयानों में यह कहा है कि यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र में संदीप ने गाली–गलौच किसके सामने दी, प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है। साक्षी पी०डब्लू–6 ने भी अपने प्रतिपरीक्षा बयानों में यह कहा है कि मुझे जानकारी है कि एस०सी०/एस०टी० एक्ट जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के आधार पर लगाया जाता है। प्रार्थना पत्र या अपने 161 सी०आर०पी०सी० के या मजीद बयान में वादी मुकदमा द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे द्वारा विवेचना के दौराना वादी मुकदमा के बयान व अन्य गवाहन व स्वतंत्र गवाहन के 161 सी०आर०पी०सी० के बयान दर्ज किये गये, जिनमें कहीं भी कोई जाति सूचक शब्द प्रयोग होना नहीं पाया गया है।

52. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था Asmathunnisa Vs. State of AP, AIR 2011 SC 1905 (para 10) में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि The expression "in any place within public view" occurring in Section 3(1)(x) of the SC/ST Act means that the public must view the person being insulted for which he must be present and no offence on the allegations u/s 3(1)(x) gets attracted in the person is not present.

53. न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित

विधि व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संदीप के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3(1)(द) व 3(1)(ध) एस० सी० /एस० टी० एक्ट को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त संदीप उपरोक्त धाराओं में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

54. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि हस्तगत मामले में पत्रावली पर जिस प्रकृति का साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–**420, 467, 468, 471, 504, 506** भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व 3(1)(ध) एस० सी० /एस० टी० एक्ट को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त संदीप दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

i. अभियुक्त संदीप को धारा- **420, 467, 468, 471, 504, 506** भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व 3(1)(ध) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

ii. अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके निजी मुचलके एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

iii. अभियुक्त धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अंकन 20,000/–(बीस हजार) रूपये का स्व बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूपत्र अविलम्ब निष्पादित करे, जो अगले छः माह तक प्रभावी रहेगा एवं अपील की स्थिति में वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगा।

iv. सम्बंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त संदीप के पास से बरामद आधार कार्ड, एक ए.टी. एम. कार्ड व मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी को यदि उक्त प्रकरण में अपील दाखिल की जाती है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन नियमानुसार निस्तारित होगा तथा अपील न होने की दशा में उक्त सामान बाद मियाद अपील अभियुक्त के पक्ष में निमयानुसार अवमुक्त किया जाये।

दिनांक–22.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
जनपद शामली।
J.O.Code– UP1761

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–22.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
जनपद शामली।
J.O.Code– UP1761

———————————